अरविन्द कुमार जैन,
आई.पी.एस.

अर्द्ध0शा0 परिपत्र संख्या:डीजी-42 /2015

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांक:लखनऊ:जून 02,2015

विषय- रिट याचिका सं0:2249(एमबी)/2015 राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2015 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

कृपया पत्र के साथ संलग्न उपर्युक्त रिट याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ के आदेश दिनांकित 29.04.2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस बात पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है कि क्षेत्राधिकारी स्तर पर आरोप पत्र अनावश्यक रूप से लम्बित रहते हैं, जिससे न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। मा0 उच्चन्यायालय के निर्णय से मुख्य अंश निम्न है:-

We have come across cases wherein chargesheet is kept pending for 2-3 months at the level of Circle Officer.This unwarranted delay causes hindrance in administration of criminal justice.At the most ,chargesheet should be forwarded to the court concerned within three weeks, by the Circle Officer.

उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के अनुसार बिना किसी विशिष्ट कारण के समान्यतया क्षेत्राधिकारी द्वारा आरोपपत्र को एक सप्ताह से अधिक नही रोकना चाहिए तथा सम्बन्धित न्यायालय में निर्धारित समय-सीमा के अन्दर ही दाखिल करा देना चाहिए।

उपर्युक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराया गया था कि प्रश्नगत प्रकरण में आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। किन्तु सम्बन्धित न्यायालय से ज्ञात करने पर यह जानकारी हुई कि आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल नही है। इस बात पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया है कि विवेचक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि जब भी कोई अभिकथन मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, तो वह तथ्यात्मक रूप से सही होना चाहिए।

अतः मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.04.2015 के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि विवेचनोपरान्त आरोप पत्र सम्बन्धित न्यायालयों में समय से दाखिल कराना सुनिश्चित करें तथा जनपदों में कोई भी आरोप पत्र अनावश्यक रूप से लम्बित न रहे। यदि कोई भी आरोप पत्र निर्धारित समयाअवधि से अधिक लम्बित पाये जाने की सूचना अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त होती है तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

1.6.15

(अरविन्द कुमार जैन)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद प्रभारी/ उत्तर प्रदेश। (नाम से)

प्रतिलिपिः1. महानिदेशक, अभियोजन, अभियोजन निदेशालय, उ0प्र0 लक्ष्मी काम्पलेक्स विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

2. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन,अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, सहकारिता प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष अनुसंधान दल, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. अपर पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे पुलिस, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. रजिस्ट्रार(सिविल)उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।